क्रम संख्या–180 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 345/XXXVI(3)/2016/84(1)/2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 28, वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम का संशोधन

2\. उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 जिसे अब "**उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं सड़क सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2012**" के नाम से पढ़ा जाएगा, शीर्षक सहित संशोधित समझा जाएगा।

धारा 3 का संशोधन

3\. मूल अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित स्पष्टीकरण को एतद्द्वारा निरस्त समझा जाएगा।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

4\. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या 2 के सम्मुख उल्लिखित विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रख दिया जायेगा; अर्थात –

"विभिन्न राज्यों के मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रिगण/विधान सभा के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद् के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के सदस्य/विधान परिषद् से संबंधित मोटरयान।"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र खुल्बे,
प्रमुख सचिव।